

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग एम.जी.रोड, सचिवालय हिल्स,गवर्नर हाउस के सामने, पिन-793001

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E) MEGHALAYA, SHILLONG MG Road, Secretariat Hills, Opposite to Governor House, PIN-793001

संख्या. EDP/e-Waste/2025-26/

दिनांक: 09.12.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग, ई-कचरे से निपटने वाले पंजीकृत एवं अधिकृत पक्षों से (ई-कचरा नियम, 2016, समय-समय पर संशोधितानुसार) "जैसा है, जहाँ है, उसी आधार पर" कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग में पड़े ई-कचरे के निपटान के लिए सीलबंद बोली/ संविदा दर आमंत्रित करता है।

- 1. विवरणः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग में "जैसा है, जहां है, के आधार पर" अनुबंध-। में सूचीबद्ध ई-कचरा वस्तुओं के निपटान के लिए निविदा।
- 2. बयाना जमा: बयाना जमा के रूप में केवल ₹ 1000/- जमा करना होगा।
- 3. जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 20.12.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे।
- 4. बोली/ संविदा खोलने की तिथि एवं समय: 20.12.2025 को अपराह्न 5.00 बजे।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ ई.डी.पी.

अस्वीकरण

यद्यपि यह दस्तावेज सद्भावनापूर्वक तैयार किया गया है, तथापि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग अथवा उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा इस दस्तावेज की सटीकता या पूर्णता के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी नहीं दी गई है और न ही दी जाएगी, तथा इससे संबंधित किसी भी दायित्व को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाता है। यह दस्तावेज कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग के द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि बोलीदाताओं से प्रत्युत्तर के लिए एक आमंत्रण है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग की ओर से प्रस्ताव प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग द्वारा औपचारिक प्रस्ताव जारी नहीं किया जाता है।

विषयसूची

1.	परिभाषाएँ:		4	
2.	कार्यक्षेत्र:		4	1
3.	पात्रता मानदंड:		4-5	
	बयाना जमा (ई.एम.डी.):			
	बोली जमा करना:	5		
	सीलबंद लिफाफे की सामग्री: 5-6			
	सामान्य नियम एवं शर्ते: 6-8			
8.	परिशिष्ट – । – ई-कचरा वस्तुओं की सूची 9-10 परिशिष्ट- ॥ – आवेदन पत्र (बोली प्रारूप) 11-12			
9.	परिशिष्ट- II – आवेदन पत्र (बोली प्रारूप) 11-12			

1. परिभाषाएं:

परिभाषित शब्दों को चिह्नित करने के लिए मोटे अक्षरों का उपयोग किया जाता है।

- 7. प्र. म. का अर्थ है प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग।
- 8. बोलीदाता से तात्पर्य उस व्यक्ति/ विक्रेता/ व्यवसाय-प्रतिष्ठान से है जो बोली/ संविदा दर प्रस्तुत करने में रुचि रखता है।
- 9. पक्षकार का तात्पर्य या तो कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग है या बोलीदाता, संदर्भ के आवश्यकतानुसार।
- 10. प्रस्ताव/ बोली/ संविदा दर/ निविदा, बोलीदाता द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग को प्रस्तुत किए गए पूर्ण बोली दस्तावेज हैं।
- 11. स्वीकृति पत्र का अर्थ है प्रधान महालेखाकार द्वारा बोली की औपचारिक स्वीकृति।
- 12. दिन कैलेंडर के दिन होते हैं, महीने कैलेंडर के महीने होते हैं।

ा कार्यक्षेत्र:

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग, अनुलग्नक-। में सूचीबद्ध ई-कचरे की वस्तुओं का निपटान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऐसे वस्तुओं के निपटान संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार "जैसा है जहां है के आधार पर" करने का उद्देश्य रखता है।

2. पात्रता मानदंड:

क्रम. संख्या.		आवश्यक दस्तावेजों का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए/ संलग्न किया जाना चाहिए
	समय पर संशोधित) के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य प्रदूषण	भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व- सत्यापित प्रति।
ख)	बोली जमा करने की तिथि से पिछले चार	बोलीदाता को 50 रुपये (पचास रुपये)

	वर्षों के दौरान राज्य/ केंद्र सरकार, सरकारी संगठनों, सरकारी उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया नहीं होना चाहिए।	के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें इसकी घोषणा की गई हो।
	बोलीदाता को जी.एस.टी.आई.एन. संख्या और पी.ए.एन संख्या अवश्य प्रकाशित करना चाहिए।	जी.एस.टी. पंजीकरण और पी.ए.एन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
ਬ)	, 3	मेघालय के संबंधित खासी हिल्स स्वायत जिला परिषद से वैध व्यापार लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रति अजनजातीय बोलीदाताओं के लिए आवश्यक है। मेघालय की किसी भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित जनजातियों को अपने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी।

4.बयाना जमा (ई.एम.डी.)

- i) बयाना राशि ₹ 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) होगी, जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक से "पी.ए.ओ., शिलांग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग" के पक्ष में क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/ बैंकर्स चेक के रूप में शिलांग में देय होगी।
- ii) असफल बोलीदाताओं को पूरी प्रक्रिया पूरी होने पर ही बयाना जमा बिना ब्याज के वापस की जाएगी।
- iii) ई-कचरा वस्तुओं पर भौतिक कब्ज़ा लेने के इच्छुक सफल बोलीदाता के लिए, जमा की गई बयाना जमा को उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली शेष राशि के साथ तदनुसार समायोजित किया जाएगा।
- iv) यदि बोलीदाता द्वारा उद्धृत ई-कचरा वस्तुओं पर भौतिक कब्ज़ा नहीं लिया जाता है, जैसा कि यहाँ 7 (झ) एवं (ञ) में प्रावधान है, तो सफल बोलीदाता की बयाना जमा जब्त कर ली जाएगी।
- v) इस कार्यालय द्वारा बयाना जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

5.बोली का प्रस्तुतीकरण:

इच्छुक पक्षकार संलग्न अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार 20 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक या उससे पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ "विरष्ठ लेखा अधिकारी, अभिलेख अनुभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ल्खा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग" को संबोधित करके अपनी बोली एक सीलबंद लिफाफे पर "ई-कचरा हेतु बोली" लिख कर जमा करें और इसे "केवल प्राप्तकर्ता द्वारा खोला जाएगा"। बोली इस कार्यालय के भूतल के अभिलेख अनुभाग में रखे निविदा पेटी में व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होंगी।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय के उपरांत प्राप्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. सीलबंद लिफाफे की सामग्री:

सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित सामग्री होनी चाहिए:

- i. आवेदन पत्र (अनुलग्नक-II)
- ii. ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार ई-कचरा विघटनकर्ता/ पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकृत/ उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन के रूप में अधिकृत और पंजीकृत होने का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के साथ पंजीकृत हो।
- iii. बोलीदाता को 50/- रुपये (पचास रुपये) के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह घोषित किया गया हो कि बोली जमा करने की तिथि तक पिछले चार (4) वर्षों के दौरान बोलीदाता को राज्य/ केंद्र सरकार, सरकारी संगठनों, सरकारी उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया था।
- iv. पी.ए.एन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।
- v. जी.एस.टी. पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति।
- vi. अजनजातीय बोलीदाता के मामले में, मेघालय के संबंधित खासी हिल्स स्वायत जिला परिषद से वैध व्यापार लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मेघालय से संबंधित किसी भी अनुसूचित जनजाति के जनजातीय को अपने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- vii. बयाना जमा करने के लिए क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / बैंकर्स चेक।

यदि बोलीदाता द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग अपने विवेक से उसकी बोली/ संविदा दर को अस्वीकार कर सकता है।

7. सामान्य नियम एवं शर्ते:

- क) आवेदन पत्र (अनुलग्नक-II) पर बोलीदाता की ओर से ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिनके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण/ मुख्तारनामा हो।
- ख) यदि प्रपत्र (अनुलग्नक-II) में पूर्ण विवरण देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो ऐसी जानकारी पृथक पृष्ठ पर दी जा सकती है, जिसमें प्रपत्र का भाग तथा क्रमांक अंकित हो। प्रत्येक भाग के लिए पृथक पृष्ठ का प्रयोग किया जाएगा तथा आवेदन के मुख्य प्रपत्र में पृष्ठ संख्या सिहत उचित संदर्भ अंकित किया जाना चाहिए।
- ग) यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो उसे दिनांक 20.12.2025 से पहले कार्यालय समय के दौरान वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग से प्राप्त किया जा सकता है।
- घ) कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी प्रस्तावों को अस्वीकार अथवा स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में कार्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। कोई कारण बताए बिना कार्यालय प्रधान महालेखाकार इस निविदा आमंत्रण को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रद्द भी कर सकता है तथा इस संबंध में कार्यालय पर कोई वित्तीय अथवा अन्य दायित्व नहीं होगा।
- ङ) संभावित बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा माल का निरीक्षण कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग स्थित कार्यालय में सभी कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक 19.12.2025 तक किया जा सकता है।

- च) लागू होने वाले सभी करों का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।
- छ) प्रस्तावित ई-कचरा वस्तुएं "जैसी हैं जहां हैं के आधार पर" बिक्री की जाएंगी एवं यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने उनकी स्थिति, गुणवत्ता आदि के संबंध में स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया है।
- झ) सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 (सात) दिनों के भीतर किसी भी वाणिज्यिक बैंक से "वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग" के पक्ष में क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर/ बैंकर्स चेक के माध्यम से बोली की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। भुगतान न करने पर, कार्यालय को बोलीदाता की पूरी बयाना जमा जब्त करने का अधिकार होगा।
- ज) सफल बोलीदाता को बोली राशि के भुगतान के बाद 7 (सात) दिनों के भीतर सभी वस्तुओं को अपने परिसर में ले जाना होगा (सफल बोलीदाता के लिए ई.एम.डी. राशि को बोली मूल्य के साथ समायोजित किया जाएगा)। ऐसा करने में विफल होने पर, कार्यालय को बोलीदाता की संपूर्ण बयाना राशि जब्त करने एवं वस्तुओं को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग के निर्णयानुसार किसी अन्य बोलीदाता को बिक्री करने का अधिकार होगा एवं यह निर्णय अंतिम होगा।
- ट) सफल बोलीदाता को सामग्री/ वस्तुओं की लोडिंग और परिवहन की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी। कार्यालय परिसर के भीतर सामग्री की लोडिंग के दौरान कार्यरत मजदीरों/श्रमिकों को होने वाली किसी भी क्षति/ दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
- ठ) ई-कचरा हटाते समय परिसर में स्थित कार्यालय परिसर की संपत्ति को कोई क्षिति नहीं पहुंचाई जाएगी। सफल बोलीदाता अथवा उसके अधिकृत कर्मचारी/ पर्यवेक्षक की असावधानी अथवा कार्रवाई के कारण कार्यालय की संपत्ति को होने वाली किसी भी हानि/ क्षिति अथवा किसी व्यक्ति को होने वाली चोट अथवा व्यक्तिगत दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
- ड) सफल बोलीदाता को ई-कचरे के निपटान के संबंध में समय-समय पर लागू विभिन्न कानूनों/ अधिनियमों/ नियमों के तहत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
- ढ) निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि निर्धारित तिथि किसी अवकाश के दिन पड़ती है, तो बोली अगले कार्यदिवस पर उपरोक्त समय पर खोली जाएगी।
- ण) बोली/ संविदा दर दिनांक 20.12.2025 को अपराह 5:00 बजे खोले जाएंगे। यदि बोली खोलने की तिथि अवकाश का दिन हो, तो बोली अगले कार्यदिवस को उसी समय सम्मेलन कक्ष, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग में खोली जाएगी।
- त) संविदा दर में सभी कर, परिवहन, श्रम या अन्य व्यय जैसे विविध शुल्क सम्मिलित होने चाहिए।
- थ) सभी ई-कचरा मदों के लिए कुल उद्धृत राशि (एकमुश्त आधार पर) के आधार पर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग द्वारा बोली का मूल्यांकन किया जाएगा। उच्चतम बोलीदाता (उच्चतम 1 बोलीदाता) द्वारा उद्धृत दर का चयन इस कार्यालय द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि कार्यालय की विचार में ऐसी दर उचित हो।
- द) यदि अन्य बोलीदाताओं से प्रतिस्पर्धा के बिना केवल एक ही बोलीदाता बोली लगाता है, तो कार्यालय अपने विवेक से उस विशेष बोलीदाता का चयन कर सकता है, बशर्ते कि कार्यालय की विचार में बोली लगाई गई दर उचित हो।
- ध) यदि इस निविदा से संबंधित किसी भी मामले को लेकर कार्यालय एवं बोलीदाता के बीच कोई प्रश्न, विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होता है, तो कार्यालय का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- न) यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके लिए कानूनी क्षेत्राधिकार केवल शिलांग

(मेघालय) स्थित सक्षम न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

- प) बोली लगाने वाले को इस नीलामी से संबंधित सभी परिशिष्ट/ संशोधनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कार्यालय की वेबसाइटों (https://cag.gov.in/ae/meghalaya/en) पर प्रकाशित किए जाएंगे तथा कार्यालय द्वारा इसके लिए कोई पृथक सूचना जारी नहीं की जाएगी। इस प्रकार का कोई भी परिशिष्ट/ संशोधन इस दस्तावेज़ में शामिल माना जाएगा।
- फ) सशर्त बोलियां / संविदा दर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुलग्नक

मद संख्या		मात्रा / वजन	बुक मूल्य/ मूल क्रय मूल्य	निपटान का प्रक्रिया (बिक्री, सार्वजनिक नीलामी या अन्य माध्यमों से)
1	2	3	4	5
1.	सी.पी.यु.	65	14,39,250/-	मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1224-आई.एस.डब्ल्यू./35- 2019 दिनांक 04.08.2023 के पैरा 11 में निहित
2.	प्रिंटर	2	1,11,251/-	प्रावधान के अनुसार.
3.	मॉनीटर	29		

अनुलग्नक-II	
दिनांक	
पदनाम	
हस्ताक्षर	

महोदय.

आपकी वेबसाइट पर दिनांक दिसंबर 2025 को प्रकाशित विज्ञापन के प्रत्युतर में, मैं/ हम, ई-कचरे के निपटान के लिए बोलीदाता/बोलीदाता (ओं), निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आग्रही हैं:-

1	बोलीदाता	का ना	म और	पता			

2	संपर्क करने के लिए टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर तथा ईमेल आई.डी.	
3	क्या भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व- सत्यापित प्रति सलग्न है? (हाँ/नहीं)	
4	50/- रुपये (पचास रुपये) के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र, जिसमें यह घोषित किया गया हो कि बोली जमा करने की तिथि तक पिछले चार (4) वर्षों के दौरान बोलीदाता को राज्य/ केंद्र सरकार, सरकारी संगठनों, सरकारी उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, अनुसूचित बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ सहकारी बैंकों आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया था। संलग्न (हाँ/नहीं)?	
5	बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की स्व-सत्यापित प्रति / रद्द किया गया चेक चेक संलग्न है (हाँ / नहीं)?	
6	पी.ए.एन. नंबर (स्व-सत्यापित प्रति संलग्न है: हां / नहीं)	
7	वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या (स्व-सत्यापित प्रति संलग्न है: हाँ/नहीं?)	
8	अजनजातीय बोलीदाता के मामले में, मेघालय के संबंधित खासी हिल्स स्वायत जिला परिषद से वैध व्यापार लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मेघालय से संबंधित किसी भी अनुसूचित जनजाति के जनजातीय को अपने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।	
9.	बयाना जमा (ई.एम.डी.) विवरणः संख्या	
10	उद्धृत दर: (यदि अंकों एवं शब्दों में राशि में अंतर हो, तो शब्दों में लिखी राशि को ही उद्धृत दर माना जाएगा।)	रुपये (आंकड़ों में)
11	दरों में सभी कर, परिवहन, श्रम या अन्य किसी भी प्रकार के विविध शुल्क शामिल होने चाहिए।	रु.(शब्दों में)

<u>घो</u>	<u>णाः</u>	
	. मेरे/ हमारे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी अनुसार सही है। मैं/ हम समझते हैं कि यिट है और बाद में उसका पता चलता है, तो का जा सकता है।	कोई गलत जानकारी प्रस्तुत की जाती
	. मैं/हम कार्यालय द्वारा प्रस्तावित ई-कचरा वस्त संदर्भ संख्या ई.डी.पी./ई-वेस्ट/2023-24/ 2023 के सभी नियमों और शर्तों से सहमत/	['] 45 दिनांक
	. मैं/ हम सहमत हैं कि कार्यालय बिना को अस्वीकार अथवा स्वीकार करने के लिए स्वतं प्रक्रिया को रद्द करने के लिए भी स्वतंत्र अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।	त्र है। कार्यालय बिना कोई कारण बताए
	. मैं/ हम पूरी तरह से समझते हैं कि यह . प्रकार का दायित्व उत्पन्न किए बिना प्रस्तुत	
	. मैं/ हम लागू विभिन्न कानूनों/ अधिनिय वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए किसी भी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन के नहीं होगा।	सहमत हैं और मेरे/ हमारे द्वारा ऐसे
दिन स्थ		दाता के हस्ताक्षर एवं मुहर

NOTICE INVITING TENDER

NO. EDP/e-Waste/2025-26/

The O/o The Pr. Accountant General(A&E) Meghalaya, Shillong invites sealed bids/quotations from registered and authorized parties dealing with e-Waste (as per E-waste

Dated: 09.12.2025

Rules, 2016, as amended from time to time), for disposal of e-Waste lying at O/o The Pr. Accountant General(A&E) Meghalaya, Shillong on "AS IS WHERE IS BASIS".

- Description: Tender for disposal of e-waste items listed in Annexure-I on "AS
 IS WHERE IS BASIS" at the O/o The Pr. Accountant General(A&E) Meghalaya,
 Shillong
- 2. Earnest Money Deposit: ₹ 1000/- only must be submitted as Earnest Money Deposit.
- 3. Last Date and Time for submission: 20.12.2025 at 11.00 AM.
- 4. Date and time for opening of bids/quotations: 20.12.2025 at 5.00 PM.

Sr. Accounts Officer/El

<u>Disclaimer</u>

While the document has been prepared in good faith, no representation or warranty, express or implied, is or will be made, and no responsibility or liability will be accepted by the O/o The Pr. Accountant General (A&E) Meghalaya, Shillong or any of its employees, in relation to the accuracy or completeness of this document and any liability thereof expressly disclaimed. This document is not an offer by the O/o The Pr. Accountant General (A&E) Meghalaya, Shillong, but an invitation for bidders' responses. No contractual obligation on behalf of the O/o The Pr.

Accountant General(A&E) Meghalaya, Shillong, whatsoever, shall arise from the offer process unless and until a formal offer is issued by the O/o The Pr. Accountant General(A&E) Meghalaya, Shillong.

Contents

1.	DEFINITIONS:4
2.	SCOPE OF WORK:
3.	ELIGIBILITY CRITERIA:
	<u>4-5</u>
4.	EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD):
	<u>5</u>
5.	SUBMISSION OF BIDS:
6.	_ <u>5</u> CONTENTS OF THE SEALED ENVELOPE:
	<u>5-6</u>
7.	GENERAL TERMS AND CONDITIONS: 6-
	<u>8</u>
8.	ANNEXURE - I - LIST OF E-WASTE ITEMS9
	10
9.	ANNEXURE- II -APPLICATION BID
	FORM

1. **DEFINITIONS**:

Boldface type is used to identify defined terms.

- a. The **PAG** means Pr. Accountant General (A&E), Meghalaya, Shillong.
- b. The **Bidder** means the person/vendor/firm who is interested in submitting the bids/quotations.
- c. **Party** means either the O/o The PAG (A&E) Shillong or the Bidder, as the context requires.
- d. The **Offer/Bid/Quotation/Tender** is the completed bidding documents submitted by the bidder to the O/o The Pr. Accountant General(A&E) Meghalaya, Shillong.
- e. The **Letter of Acceptance** means formal acceptance by the PAG of the Bid.
- f) Days are calendar days, months are calendar months.

2. SCOPE OF WORK:

The O/o The Pr. Accountant General(A&E) Meghalaya, Shillong intends to dispose e-waste items as listed in Annexure-I on "AS IS WHERE IS BASIS" lying in the O/o The Pr. Accountant General(A&E) Meghalaya, Shillong, as per the Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board guidelines for disposing of such items.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

SI. No.	Eligibility Criteria	Proof of Documents required / must be submitted / enclosed
a)	Must be authorised and registered as per E-waste Management Rules, 2016 (as amended from time to time), as a Dismantler / Recycler / Refurbished / Producer Responsibility Organization of e- Waste with Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forests, Government of India or with the State Pollution Control Board, etc.	
b)	Must not be blacklisted during the last 4(four) years as on the date of submission of bid by the State / Central Government, Government Organizations, Government Undertakings, Public Sector Undertaking	The Bidder must submit a notarized affidavit on non-judicial stamp paper of Rs. 50/- (Rupees fifty) declaring the same.
C)	Bidder should indicate GSTIN No. and PAN No.	Self-attested copy of GST registration and PAN to be enclosed
d)	Where required, the Bidder shall have to	Self- attested copy of valid Trading

furnish a valid Trading License from the	License from the Khasi Hills
Khasi Hills Autonomous District Council	Autonomous District
concerned of Meghalaya while submitting	Council concerned of Meghalaya
their tender.	for Non-Tribal bidders
	Tribal belonging to any of the
	Schedule Tribes pertaining to
	Meghalaya will be required to
	submit a self attested copy
	of their Schedule Tribe Certificate.

4. EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD)

i. Earnest Money deposit would be ₹ 1000/- (Rupees One thousand) only in

- the form of crossed Demand Draft/Pay Order/Banker's Cheque from any commercial bank in favor of "**PAO**, **Shillong**, O/o The Pr. Accountant General(A&E) Meghalaya, Shillong" payable at Shillong.
- ii. The Earnest Money deposit is refundable without interest for unsuccessful bidders only on completion of the entire process.
- iii. For the successful bidder who intends to take physical possession of the ewaste items, the Earnest Money deposited shall be adjusted with the balance amount to be paid by him / her accordingly.
- iv. The Earnest Money deposit of the successful bidder will be forfeited if the ewaste items quoted are not taken physical possession of by the successful bidder as provided in 7 (h) &(i) herein.
- v. No interest will be paid by this Office on the Earnest Money Deposit.

5. SUBMISSION OF BIDS:

Interested parties should submit their bid as per format enclosed as Annexure-II on or before 20th December 2025 at 11:00 hrs. along with necessary documents in a sealed envelope superscribed with the words "BIDS FOR E-WASTE" To Be Opened "by THE ADDRESSEE ONLY" addressed to "Sr. Accounts Officer, Record Section, O/o The Pr. Accountant General(A&E) Meghalaya, Shillong" and drop personally in the tender box kept at the Ground Floor, Record Section of this office.

Any application received after the last date and time of submission will be rejected.

6. CONTENTS OF THE SEALED ENVELOPE:

The sealed envelope should contain the following: -

- Application bid form (Annexure-II)
- ii. Self attested copy of valid registration certificate for being authorised and registered as a Dismantler / Recycler / Refurbished / Producer Responsibility Organization of e- waste as per E-waste Management Rules, 2016 (as amended from time to time), with Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forests, Government of India or with the State Pollution Control Board, etc.
- iii. The Bidder must submit a notarized affidavit on non-judicial stamp paper of Rs. 50/- (Rupees fifty) declaring that the bidder was not blacklisted during the last four (4)years as on the date of submission of bid by State/Central Government, Government Organizations, Government Undertakings, Public Sector Undertaking.
 - iv. Self attested copy of PAN Card.
 - v. Self attested copy of GST registration.
 - vi. In case of non-tribal bidder, a self attested copy of valid Trading License from the Khasi Hills Autonomous District Council concerned of Meghalaya. Tribal belonging to any of the Schedule Tribes pertaining to Meghalaya, will be required to submit a self attested copy of their Scheduled Tribe Certificate.
 - vii. Crossed Demand Draft / Pay Order / Banker's Cheque for Earnest Money Deposit.

In case of any of the documents are not submitted by the bidder, the

O/o The PAG (A&E) Meghalaya, Shillong at its discretion may reject his/her bid/quotation.

7. GENERAL TERMS AND CONDITIONS:

- a. The application bid form (Annexure-II) shall be signed by person/persons on behalf of the bidder having necessary authorization/Power of Attorney to do so.
- b. If the space in the form (Annexure-II) is insufficient for furnishing full details, such information may be continued on separate sheets of paper, stating therein the part of the form and serial number. Separate sheets shall be used for each part and a proper reference with page number must be indicated in the main form of application.
- c. Clarifications, if any required, may be obtained from the Sr. AO/EDP Cell, O/o The PAG (A&E) Meghalaya, Shillong during Office hours before 20.12.2025.
- d. The Office is at liberty of rejecting or accept any or all offers without assigning any reason thereof. The decision of office in this regard shall be final and binding. The PAG office may also cancel this Notice Inviting Tender fully or partially without assigning any reason thereof and no liability, financial or otherwise, will be borne by the office in this tegard.
- e. The inspection of the goods can be carried out by the prospective bidders or their representatives in the O/o The PAG (A&E) Meghalaya, Shillong in all working days between 11:AM to 4:00 PM up to 19.12.2025.
- f. Any taxes as levied and applicable shall be paid by the successful bidder.
- g. The e-waste items proposed will be sold "AS IS WHERE IS BASIS" and will be deemed to have been on the understanding that the bidder has satisfied fully himself/herself/ themselves in regard to the conditions, quality, etc., of the same.
- h. The successful bidder will be required to make full payment of bid by way of crossed Demand Draft/Pay Order/Banker's Cheque from any Commercial Bank in favor of "Pay and Accounts Officer, O/o The PAG (A&E) Meghalaya, Shillong, within 7(seven) days after issue of letter of acceptance by the O/o The PAG (A&E) Meghalaya, Shillong on failure to do so, the Office shall have the right to forfeit the entire Earnest Money deposit amount of the bidder.
- i. The successful bidder shall be required to lift all the items to his/her premises within 7(seven) days after the payment of the quoted amount (EMD amount will be adjusted with the quoted value for the successful bidder). On failure to do so, the Office shall have the right to forfeit the entire Earnest Money Deposit amount of the bidder and dispose the items to an alternate bidder as decided by O/o The PAG (A&E) Meghalaya, Shillong and will be final.
- j. The Successful Bidder will have to make their own arrangement at their own cost for loading and transportation of the materials/items to their respective destination. There will be whole responsibility of the Successful Bidder for any damage / mishap of labor / workers engaged during the loading of materials within the Office Complex.
- k. No damage shall be caused to the property of the Office Complex in the premises while removing the e-waste items. Any loss/damage to the

- property of the office or injury or personal accident suffered by any person due to negligence or action of the Successful Bidder or his authorised worker/supervisor, will be borne Successful Bidder.
- The Successful bidder should follow the procedure under various Laws
 / Acts / rules in force from time to time in connection with disposal of e-waste.
- m. No bid shall be accepted after the due date and time. If the due date happens to be a holiday, the bid shall be opened on the next working day at the same time notified as above.
- n. Bids/quotations will be opened on 20.12.2025 at 17:00 hrs. If the opening date happens to be a holiday, the bid shall be opened on the next working day at the same time at Conference Hall, O/o The PAG (A&E) Meghalaya, Shillong.
- o. The rate quoted should be inclusive of all taxes, miscellaneous charges like transportation, labour or any other expenses, etc.
- p. The bids shall be evaluated by the O/o The PAG (A&E) Meghalaya, Shillong based on the total amount quoted for all e-waste items (lumpsum basis) The rate quoted by the bidder which is found to be the highest (H1 bidder) shall be selected by this Office provided that such rate is, in the opinion of the Office, reasonable. In case of a tie, the winning bid may be decided by draw of lots or at the discretion of the Office.
- q. In case only one bidder quotes without competition from other bidders, the Office may at its discretion select that particular bidder provided that the quoted rate is, in the opinion of the Office, reasonable.
- r. In the event of any question, dispute or difference is arising between the Office and the bidder relating to any matter arising out of or connected with this tender, the decision of the office shall be final and binding on both the parties.
- s. Legal jurisdiction for any disputes, if arise, is subject to exclusive jurisdiction of competent courts in Shillong (Meghalaya) only
- t. Bidder should specially take note of all addendum/corrigendum related to this auction which will be published at the office websites (https://cag.gov.in/ae/meghalaya/en) and no separate intimation for the same will be issued by the Office. Any such addendum/corrigendum shall be deemed to be incorporated into this document.
- u. Conditional bids/guotations shall not be considered.

Annexure

Item	Particulars of	Quantity/	Book Value/	Mode of disposal
No.	stores	Weight	Original	(sale, public auction
			purchase price	or otherwise)

1	2	3	4	5
1.	CPU	65	14,39,250/-	Auction as per provision contained
2.	Printers	2	1,11,251/-	in Para 11 of HQ's Circular No. 1224- ISW/35- 2019 dated 04.08.2023
3.	Monitors	29		

Signature
Designation
Date

Annexure-II

Sir,

In response to your advertisement dated December 2025 in your websites I/we, the bidder(s) for the disposal of e-waste, would like to submit my/ our offer as follows:-

1	Name and address of the Bidder	
2	Contact Telephone No / Mobile No. and E-mail ID	
3	Self – attested copy of valid Registration Certificate with Central pollution Control Board, Ministry of Environment and Forests, Government of India or with the State Pollution Control Board enclosed (Yes/No)?	
4	Notarized affidavit on non-judicial stamp paper of Rs.50/- (Rupees Fifty) declaring that the bidder was not blacklisted during the last four (4) years as on the date of submission of bid by State/Central Government, Government organisations, Government undertakings, Public Sector enterprises, Scheduled Banks / Commercial Banks / Regional Rural Banks / Cooperative Banks, etc. Enclosed (Yes/No)?	
5	Self attested copy of the first page of the Bank Account Passbook / Cancelled Cheque enclosed (yes / No)?	
6	PAN No. (Self attested copy enclosed yes / No.)	
7	Goods and Services Tax Registration No. (Self attested copy enclosed Yes/No?)	
8	In case of non-Tribal Bidder, a self attested copy of valid Trading License from the Khasi Hills Autonomous District Council concerned of Meghalaya. Tribal belonging to any of the Schedule Tribes	

	pertaining to Meghalaya, will be required to submit a self attested copy of their Scheduled Tribe Certificate.	
9.	EMD Details: No Date	
10	rate)	Rs. (in figures)
	Rates should be inclusive of all taxes, miscellaneous charges like transportation, labour or any other expenses.	
		(in words)

DECLARATION:

- 1. All the information furnished by me / us here above is correct to the best of my / our knowledge and belief. I/we understand that if any false information is submitted and detected at a later date, the offer shall be cancelled at the discretion of the Office.
- 3. I/We agree that the Office is at liberty to reject or accept any all offers without assigning any reason thereof. The Office is also at liberty to cancel the process without assigning any reason whatsoever. The decision of the Office in this regard shall be final and binding.
- 4. I/We fully understand that this application has been submitted without giving rise to any obligation whatsoever on the part of your Office.
- 5. I/We agree to comply with all the statutory provisions as laid down under various Laws/Acts/Rules in force and in case of any violation of such statutory provisions applicable by the me/us, there will be no liability on the Office.

Date: seal	Signature of the bidder with
Place:	